

राजस्थान सरकार



## राजिस्त्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक: 165/राजमेर 2009-2010

यह प्रमाणित किया जाता है कि

..... राजाजी गरीब राजा शिखर संख्या भौलानर .....  
..... जिला ..... राजमेर ..... का राजस्थान संस्था राजिस्त्रीकरण आदेश 1958,

1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत राजिस्त्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 28 माह अमरुबर

सन दो हजार ..... मे ..... को ..... राजमेर ..... में दिया गया।



राजिस्त्रीकरण संस्था  
राजमेर